रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941
No. 400] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/ PAUSHA 6, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 दिसमबर, 2019

सं. 50/2015-2020

विषयः प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदाओं/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी प्रयोजनों हेतु स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्रक्रिया को अधिसूचित करने के लिए विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.79घ में संशोधन।

फा. सं. 01/91/180/18/एएम–17/ईसी.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के पैरा 2.79घ में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हैं।

2. दिनांक 04.09.2018 की सार्वजनिक सूचना सं. 34/2015–20 द्वारा यथा अधिसूचित पैरा 2.79घ के तहत प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदाओं/आरएफपी/आएफक्यू/एनआईटी हेतु स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्रक्रिया को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः

"पैरा 2.79घ स्कोमेट मदों के प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदाओं/आरएफपी/आरएफक्यू/ एनआईटी के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करना"

(क) विदेश में प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदाओं/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी हेतु स्वदेशी/ आयातित स्कोमेट मद (मदों) के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र

केवल (क) प्रदर्शन (ख) डिस्प्ले (ग) प्रदर्शनी (घ) निविदाओं/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी के प्रयोजन से स्कोमेट सूची (श्रेणी 0, 1, 2 और 6 या किसी श्रेणी में 'प्रौद्योगिकी' या 'साफ्टवेयर' के तहत मदों को छोड़कर) के मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र पर अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के आधार पर विचार किया जाएगाः–

(क) ऐसे मामलों पर विनिर्दिष्ट समय अवधि के लिए विशुद्ध रुप से अस्थायी निर्यात आधार पर विचार किया जाएगा,

(ख) ऐसे मामलों में वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा;

(ग) विक्रय/खरीद/किराया/पट्टा के रुप में कोई वाणिज्यिक लेन–देन नहीं होगा;

(घ) मदों की संख्या निर्यात मदों के स्वरुप और उस प्रयोजन के अनुरूप होनी चाहिए जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है;

(ड.) सूचना का कोई आदान–प्रदान/प्रकटन नहीं होगा जिससे प्रौद्योगिकी का अंतरण हो सके;

(च) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों या अधिक जोखिम वाले देशों/संस्थाओं, जैसा कि समय–समय पर आईएमडब्ल्यूबी द्वारा आकलन किया जाए, के लिए कोई निर्यात प्राधिकार पत्र मंजूर नहीं किया जाएगा।

(छ) आवेदन में निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न हों (जो भी लागू हो, उसके अनुसार):–

(i) <u>समारोह (प्रदर्शन/ डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदाएं/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी) का प्रमाण</u>

(i) समारोह या भागीदारी का प्रयोजन (ii)कार्यक्रम (यदि तिथियां तय नहीं हैं तो संभावित समय अवधि) (iii) समारोह का विशेष स्थान (स्थल, शहर, देश आदि) को प्रमाणित करने के लिए निमंत्रण पत्र/विज्ञापन/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी के लिए नोटिस या कोई अन्य दस्तावेज;

(ii) <u>भागीदारी का प्रमाणः</u>

समारोह (प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी) में आवेदक की भागीदारी की पुष्टि संबंधी दस्तावेज;

(iii) <u>आवेदक फर्म की ओर से वचनबद्धताः</u>

फर्म के पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगी वचनबद्धता जिसमें यह वर्णित हो किः

(क) निर्यात का प्रयोजन, समारोह के कार्यक्रम और विशिष्ट स्थान सहित आमंत्रितों का विवरण;

(ख) प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी के लिए निर्यात की जाने वाली मदों का उनकी स्कोमेट श्रेणी/उप श्रेणी संख्या (संख्याएं), मात्रा और मद वर्णन सहित विवरण।

(ग) निर्यातित मदें निर्यात की संपूर्ण अवधि के दौरान निर्यातक की अभिरक्षा में होंगी;

(घ) समारोह समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर या डीजीएफटी की अनुमति से विस्तारित समय के भीतर निर्यातित मदें भारत में वापस लायी जाएंगी;

(ड.) प्रविष्टि बिल, जिसमें निर्यातित मदों को वापस भारत में लाने की पुष्टि की गई हो, डीजीएफटी को प्रस्तुत की जाएगी;

(ज) प्राधिकार पत्र मंजूर करने के लिए आवेदन समारोह/आयोजक के प्रत्यय पत्र के सत्यापन के पश्चात अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे;

(ख) <u>भारत में प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदाओं/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी में भागीदारी के बाद आयातित स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार–पत्र</u>

प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी के पश्चात आयातित स्कोमेट मदों का कंपनी जहां से इसे मूलतः आयात किया गया है अथवा इनके ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को निर्यात हेतु प्राधिकार–पत्र जारी करने हेतु आवेदन पर निम्नलिखित शर्तों पर अध्यक्ष आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विचार किया जाएगाः–

क) भारतीय निर्यातक और आपूर्तिकर्ता/ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) के बीच संविदात्मक करार के अंतर्गत प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/ एनआईटी के प्रयोजनार्थ भारत में स्कोमेट मद (मदों) का आयात किया गया हो;

ख) मदों को उसी कंपनी जिससे मद (मदों) का आयात किया गया है अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अभिकरण सहित) को निर्यात किया जाना चाहिए;

ग) 'वास्तविक उपयोग' और 'वास्तविक उपयोग प्रमाण पत्र' संबंधी विवरणों की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

घ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित गंतव्यों अथवा समय–समय पर आईएमडब्ल्यूजी द्वारा यथा आकलित अधिक जोखिम वाले देशों/कंपनियों हेतु कोई निर्यात प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा;

(ङ.) आवेदन के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज (जो भी लागू/उपयुक्त हो पर निर्भर) लगाए जाए।

(i) मद (मदों) के आयात का प्रमाण

(क) प्रविष्टि बिल जिसमें मदों का प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/ आरएफक्यू/एनआईटी के पूरा होने के बाद निर्यात किए जाने का विवरण शामिल है।

(ख) भारत में वस्तुओं के मूल आयात के लिए विदेशी राष्ट्र द्वारा जारी किया गया निर्यात लाइसेंस (यदि लागू हो)

(ii) समारोह/भागीदारी (प्रदर्शनी/डिस्प्ले/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी का प्रमाण)

(i) समारोह या भागीदारी का प्रयोजन (ii) कार्यक्रम (iii) समारोह का विशेष स्थान (स्थल, शहर इत्यादि) (iv) समारोह (प्रदर्शनी/डिस्पले/प्रदर्शन/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/ एनआईटी में आवेदक की भागीदारी की पुष्टि संबंधी दस्तावेज को अभिप्रमाणित करने के लिए निमंत्रण पत्र/विज्ञापन/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी के लिए सूचना या अन्य कोई दस्तावेज।

(iii) आवेदक फर्म की ओर से वचनबद्धता

फर्म के पत्र शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगी वचनबद्धता जिसमें यह वर्णित हो कि

क. भारत में मद के आयात का उद्देश्य, समारोह के कार्यक्रम और विशिष्ट स्थान सहित आमंत्रित गण

ख. आयातित मदों का विवरण जो प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/ एनआईटी के बाद निर्यात किए जाएगे साथ में स्कोमेट श्रेणी/उप–श्रेणी संख्या (संख्याएं), मात्रा, मद विवरण और विदेशी राष्ट्र का ईसीसीएन सहित ब्यौरा।

ग. यह कि मदों का निर्यात उसी कम्पनी या ओईएम को (ओईएम द्वारा प्राधिकृत अधिकरण सहित) (जो भी लागू हो) प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी के लिए किया जा रहा है जहां से इसका मूल रूप से आयात किया गया था।

घ. यह कि आयात के पश्चात मद (मदों) के विनिर्देशनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ. यह कि प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी (आरएफक्यू) एनआईटी मदों (जो भी लागू हो) आयात शर्तों या संविदात्मक करार शर्तों के तहत अनुमत है।

च. यह कि आयातित मद (मदों) का निर्यात आयात शर्तो या संविदात्मक करार शर्तो के अधीन भारतीय निर्यातक और विदेश स्थित कंपनी/ओईएम (जिसमें ओईएम) द्वारा प्राधिकृत (एजेन्सी शामिल है) के बीच अनुमत है।

छ. कंपनी जहां से इसे मूल रुप से आयात किया गया था को अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) को निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन को अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा आईएमडब्ल्यूजी सदस्यों के परामर्श के बिना अनुमोदित किया जाएगा। तथापि, मूल प्रदायक अथवा ओईएम (ओईएम द्वारा प्राधिकृत एजेंसी सहित) से भिन्न किसी कंपनी को निर्यात के मामलों में अनुमोदन अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी द्वारा उस कम्पनी जिसे मद (मदों) का निर्यात किया जाना है, के प्रत्यय–पत्रों के सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

3. इस तरह के सभी प्राधिकार पत्र कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन की पुष्टि के लिए आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष इसकी आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जांएगे।

टिप्पणीः

- आरएफपी का अर्थ प्रस्ताव हेतु अनुरोध है
- आरएफक्यू का अर्थ कोटेशन हेतु अनुरोध है
- एनआईटी का अर्थ निविदा आंमत्रण सूचना है

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

विदेश व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.79 घ में देश में प्रदर्शन/डिस्प्ले/ प्रदर्शनी/निविदा/आरएफपी/आरएफक्यू/एनआईटी प्रयोजनों हेतु आयातित स्कोमेट मद (मदों) के निर्यात की प्रक्रिया को

निर्धारित करने के लिए संशोधन किया गया है। इसके अलावा, समारोह के बाद 90 दिनों के अंदर मद (मदों) को वापस लाने के प्रावधान को शामिल करते हुए विदेश में प्रदर्शन/डिस्प्ले/प्रदर्शनी इत्यादि हेतु स्वदेशी/आयातित स्कोमेट मद (मदों) के निर्यात हेतु प्राधिकार–पत्र प्राप्त करने [पैरा 2.79घ (क)] वाले आवेदक फर्म द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता को भी संशोधित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICATION

New Delhi, the 27th December, 2019

No. 50/2015-2020

Subject:- Amendment in Paragraph 2.79 D in the HBP of the FTP 2015-20 to notify the procedure for export of SCOMET items for demo/display/exhibition/tenders/ RFP/RFQ/NIT purposes.

F.No.01/91/180/18/AM-17/EC.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby makes amendment in Paragraph 2.79D of Handbook of Procedures (HBP) of FTP 2015-20, with immediate effect.

2. The procedure for export of SCOMET items for demo/display/exhibition /tenders/ RFP/RFQ/NIT under Paragraph 2.79D, as notified vide **Public Notice No. 34/2015-20 dated 04.09.2018, is substituted** as under:

"Para 2.79D Issue of export authorizations for demo/display/exhibition/tenders/RFP/ RFQ/ NIT of SCOMET items

(A) Authorization for export of indigenous/imported SCOMET item(s) for demo/display/exhibition /tender/ RFP/RFQ/NIT abroad

Authorizations for export of items in SCOMET List (other than those under Category 0, 1, 2 and 6 or 'Technology' or 'Software' in any category) solely for purposes of (a) Demo (b) Display (c) Exhibition (d) Tenders/RFP/RFQ/NIT shall be considered by Chairman IMWG, on the following conditions:

(a) Such cases would be considered purely on temporary export basis for a specified time period;

(b) No end user certificate would be insisted upon in such cases;

(c) There shall not be any commercial transaction in the form of selling/buying/renting/leasing;

(d) The number of item(s) should be commensurate with the nature of export items and the purpose for which the application is being made;

(e) There shall not be any exchange/disclosure of information which could lead to transfer of technology;

(f) No export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time;

(g) The application is accompanied with the following additional documents (depending on whichever is applicable):

(i) <u>Proof of event (Demo/Display/ Exhibition/ Tenders/RFP/RFQ/NIT)</u>

Invitation letter / Advertisement/Notice for RFP/RFQ/NIT or any other document to authenticate (i) the event or purpose of participation (ii) schedule (in case dates not decided, probable time period) (iii) specific location of event [venue, city, country etc.];

(ii) **Proof of participation** :

Documents confirming participation of applicant in the event (demo/display/ exhibition/ tender/RFP/RFQ/NIT);

(iii) **An undertaking from the applicant firm**:

An Undertaking on the letter head of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory stating:

a. Purpose of export, details of invitee alongwith schedule and specific location of event;

b. Details of items to be exported for Demo/Display/Exhibition /tender/ RFP/RFQ/NIT alongwith their SCOMET Category /Sub-category number(s), quantity and item description.

c. that the exported items will be in the custody of the exporter during the entire period of export;

d. that the exported items shall be brought back to India within 90 days after the event gets over or within the extended time, as allowed by DGFT;

e. that the Bill of Entry confirming the return back of the exported items to India shall be submitted to DGFT.

(h) Applications for grant of authorizations shall be approved by Chairman, IMWG after verifying the credentials of the event/organizer.

(B) Authorization for export of imported SCOMET items after participation in demo/display/exhibition /tenders/ RFP/RFQ/NIT in India

Application for grant of authorization for export of imported SCOMET items to the entity from which it has been originally imported or to its OEM (including agency authorized by OEM), after Demo/Display/Exhibition/tender/RFP/RFQ/NIT, shall be considered by Chairman IMWG, on the following conditions:

a) The SCOMET item(s) were imported in India for the purpose of demo/display/exhibition /tender/ RFP/RFQ/NIT under a contract agreement between Indian exporter and supplier/OEM(including agency authorized by OEM);

b) The export should only be to the entity from which the item(s) has/have been imported or to the OEM (including agency authorized by OEM);

c) No details on 'End Use' and 'End Use Certificate' would be required;

d) No export authorisation would be granted for UNSC sanctioned destinations or countries/entities of high risk, as assessed by the IMWG, from time to time;

e) The application is accompanied with the following additional documents (depending on whichever is applicable/appropriate):

i. Proof of import of the item(s):

a. Bill of entry containing details of the items being exported after completion of Demo/Display/Exhibition /tender/ RFP/RFQ/NIT;

b. Export License (if applicable) issued by the foreign country for original import of the items to India;

ii. **<u>Proof of event/participation (Exhibition/ Demo/Display/ Tenders/RFP/ RFQ/NIT)</u>**

Invitation letter / Advertisement/Notice for RFP/RFQ/NIT or any other document to authenticate (i) the event or purpose of participation (ii) schedule (iii) specific location of event [venue, city etc.] iv) Documents confirming participation of applicant in the event (exhibition/ display/ demo/tender/RFP/RFQ/NIT

iii. <u>An Undertaking from the applicant firm;</u>

An Undertaking on the letter head of the firm duly signed and stamped by the authorized signatory stating:

a. Purpose of import of item in India, invitee alongwith schedule and specific location of event;

b. Details of imported items to be exported after Demo/Display/Exhibition tenders/ RFP/RFQ/NIT alongwith their SCOMET Category /Sub-category number(s), quantity, item description and ECCN of foreign country;

c. That item (s) are being exported to the entity from which it was originally imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) (whichever is applicable) for Demo/Display/Exhibition/ tenders/ RFP/RFQ/NIT;

d. That there has been no change in the specifications of the item(s) after import;

e. That the Demo/Display/Exhibition tenders/ RFP/RFQ/NIT items (whichever is applicable) is allowed under the conditions of import or contractual agreement;

f. That the export of the imported item(s) is allowed under the conditions of import or contractual agreement between Indian exporter and entity abroad /OEM (including agency authorized by OEM).

f) Applications for grant of authorizations for export to the entity from which it was originally imported or to the OEM (including agency authorized by OEM) shall be approved by Chairman IMWG, without any consultation with IMWG members. However, in cases of export to an entity other than the original supplier or OEM (including agency authorized by OEM), approval will be granted by Chairman, IMWG after verification of the credentials of the foreign entity to which the item(s) are to be exported.

3. All such authorizations shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for confirmation of approval, on ex-post facto basis.

Note:-

- RFP refers to Request for Proposal
- RFQ refers to Request for Quotation
- NIT refers to Notice Inviting Tender

4. <u>Effect of this Public Notice:</u>

Paragraph 2.79D of Handbook of Procedures of FTP 2015-20 has been amended to lay down the procedure for export of SCOMET item(s) imported for demo/display/exhibition/ tenders/RFP/RFQ/NIT purposes in the country. In addition, the undertaking by an applicant firm seeking authorisation for export of indigenous/imported SCOMET item(s) for demo/display/exhibition etc. abroad [Para 2.79D(A)] has also been modified including provision of bringing back item(s) within 90 days after the event.

AMIT YADAV, Director Gen. of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.31 01:21:57 +05'30'